

297035 - क्या मंगेतर लड़के को इस बात से सूचित करना आवश्यक है कि उसकी मंगेतर के परिवार की कुछ औरतों ने बच्चे नहीं जने हैं?

प्रश्न

मेरा भाई शादी करना चाहता है। मेरी माँ ने उसके लिए एक लड़की को चुना है और दोनों पक्षों के बीच स्वीकृति हो चुकी है। लेकिन शरई तौर पर लड़की को देखने और दोनों पक्षों की स्वीकृति के बाद, हमने उसके परिवार के इतिहास से यह पाया कि लड़की की कुछ फूफियों (मौसियों) ने बच्चों को जन्म नहीं दिया है, तथा उनमें से जिसने जना भी है तो उसकी बेटियों ने बच्चे नहीं जने हैं। तो क्या यह ज़रूरी है कि हम अपने भाई को इस बात की जानकारी दे दें? और अगर हम उसे यह न बताएँ, तो क्या हम गुनाहगार होंगे? हम जानते हैं कि बच्चा पैदा करने का मामला सर्वशक्तिमान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन क्या हमें अपने भाई को इस बात की जानकारी देनी ज़रूरी है या कि हम उसे इस डर से यह बात न बताएँ कि हम उसे शक और डर की स्थिति में न डाल दें?

विस्तृत उत्तर

प्रजनन का मामला अल्लाह के हाथ में है, जैसा कि उसका फरमान :

لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا ۖ
وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. [الشورى : 49-50]

“आकाशों और धरती की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वह जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियाँ प्रदान करता है और जिसे चाहता है बेटे प्रदान करता है। या उन्हें मिलाकर बेटे और बेटियाँ (दोनों) प्रदान करता है और जिसे चाहता है बाँझ कर देता है। निश्चय वह सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर सर्वशक्तिमान है।” (सूरतुश-शूरा : 49-50)

एक ही घर में कोई महिला ऐसी होती है जो बच्चे जनती है और कोई बच्चा नहीं जनती है। और इसका कारण पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है।

आपने केवल फूफियों का उल्लेख किया है, बहनों, खालाओं और चचेरी बहनों का उल्लेख नहीं किया है।

जब लड़की की धार्मिक स्थिति और चरित्र संतोषपूर्ण है और वह उसके साथ संतुष्ट है, तो इसका उल्लेख करना उचित नहीं है। क्योंकि यह उसे इस मंगनी को तोड़ने, या चिंता और प्रतीक्षा के साथ आगे बढ़ने का कारण बन सकता है।

लेकिन अगर उसकी ज़्यादातर महिला रिश्तेदार बच्चे पैदा नहीं करती हैं, या अगर यह उनके बीच एक प्रत्यक्ष और सर्वपरिचित मामला है : तो उस समय आपके लिए अपने भाई को सूचित करना ज़रूरी है, ताकि वह अपने मामले से अवगत रहे।

इस्लामी शरीयत ने ऐसी महिला से शादी करने की रूचि दिलाई है जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो।

मा'क़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने कहा : “एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने एक महिला को पाया है, जो हसब व नसब वाली और रूपवान् है, लेकिन वह बच्चे नहीं जनती है। तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? तो आपने उसे मना कर दिया। फिर वह दूसरी बार आपके पास आया और वही बात कही, पर आपने उसे मना कर दिया। फिर वह तीसरी बार आपके पास आया और उसी तरह बात कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : तुम बहुत प्यार करने वाली और ज़्यादा बच्चे जनने वाली महिला से शादी करो, क्योंकि मैं (क्रियामत के दिन) तुमपर गर्व करूँगा।” इसे अबू दाऊद (हदीस संख्या : 2050) और नसाई (हदीस संख्या : 3227) ने रिवायत किया है और शैख अलबानी रहिमहुल्लाह ने “आदाबुज़-ज़िफ़ाफ़” (पृष्ठ 132) में इसे सहीह कहा है।

फ़ुक्रहा (धर्मशास्त्रियों) रहिमहुल्लाह ने उल्लेख किया है कि एक महिला के ज़्यादा बच्चा जनने वाली होने का पता उसकी रिश्तेदार महिलाओं को देखकर लगाया जा सकता है।

उन्होंने कश्शाफ़ुल-क्रिना (5/9) में कहा : “एक कुँवारी औरत के ज़्यादा बच्चा जनने वाली होने को इस तौर पर जाना जा सकता है कि : वह ऐसी महिलाओं में से हो, जो ज़्यादा बच्चे वालियों से जाना जाती हैं।” उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला है।